

**न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं**

पीठासीन अधिकारी:—डॉ० अरूण गर्ग  
आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 354/2025

श्री राजेश कुमार सैनी पुत्र श्री फूलाराम सैनी, निवासी राजीवपुरा, मणकसास, तहसील उदयपुरवाटी,  
जिला झुंझुनूं।

—प्रार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं।

—अप्रार्थी

आवेदन पत्र बाबत राज० उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के निर्णय की पालना बाबत।

उपस्थित:—

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. श्रीमती अनामिका, विभागीय प्रतिनिधि— अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

**आदेश**

दिनांक 12.09.2025

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.08.2025 में दिये निर्देशों की पालना में निम्न प्रकार पेश किया है कि तहसील उदयपुरवाटी के ग्राम मणकसास की नई दुकानों के आवंटन के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा रोक लगाई गई है जिसका पीटिशन सं० 12249/2025 है। उक्त एएसएसबी सिविल रिट पीटिशन पर स्थगन आदेश प्राप्त हुए हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश है।

प्रकरण में जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं ने पत्रांक अभियोग/रसद/2025/861 दिनांक 04.09.2025 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि सी०बी० सिविल रिट पीटिशन संख्या 12249/2025 राजेश कुमार सैनी, मणकसास बनाम राजस्थान सरकार की तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्न प्रकार सादर प्रेषित है कि ग्राम पंचायत मणकसास में नवसृजित उचित मूल्य दुकान के लिए आवेदन प्राप्त हुए। ग्राम मणकसास में नवसृजित उचित मूल्य दुकान के लिए संबंधित प्रवर्तन निरीक्षक की जांच रिपोर्ट ली गई। नवसृजित उचित मूल्य दुकान व अन्य श्रेणी की उचित मूल्य दुकान खोलने के लिए प्रक्रिया की गई व निर्णय पारित किया गया। अपीलान्त श्री राजेश कुमार सैनी के पास वर्तमान में ग्राम मणकसास में खाद्य सुरक्षा योजना के चयनित राशन कार्ड संख्या 967 व खाद्य सुरक्षा योजना चयनित यूनिट 4492 है।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि प्रार्थी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.08.2025 में दिये गये निर्देशों की पालना में आपके समक्ष प्रस्तुत है। तहसील उदयपुरवाटी के ग्राम मणकसास की नई दुकानों के आवंटन के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा रोक लगाई गई है जिसका पीटिशन

  
जिला कलक्टर झुंझुनूं

सं० 12249/2025 है। उक्त एएसएसबी सिविल रिट पीटिशन पर स्थगन आदेश प्राप्त हुए हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश है।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। तथ्यात्मक रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि ग्राम मणकसास स्थित उक्त दुकानों पर खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड की संख्या क्रमशः 967 व यूनिट 4492 है। विभागीय आदेश क्रमांक एफ 17( 9 ) खा०वि०/विधि/2012 दिनांक 26.12.2019 व 17( 1 ) खा०वि०/विधि/2008 दिनांक 07.04.2010 के अनुशरण में 500 राशन कार्ड/2000 यूनिट पर अतिरिक्त दुकान के प्रावधान जारी है। उक्त दुकान पर राशन कार्ड की संख्या निर्धारित संख्या से भी कम है। प्रकरण में नियमानुसार अतिरिक्त राशन की दुकान सृजित किया जाना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मणकसास स्थित उचित मूल्य श्री राजेश कुमार सैनी को यथावत रखे जाने व अतिरिक्त दुकान नहीं सृजित करने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 12.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( डॉ० अरुण गर्ग )  
जिला कलक्टर, झुंझुनूं